



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2017, शनिवार/ चैत्र 5—चैत्र 11, 1939  
No. 9] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ- 1.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
  2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में,-
- (i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहाँ भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) अनुसूची में ;-
  - (क) स्तम्भ (4) के अधीन, शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्  
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013, में—

1. नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों में जहां वह आते हैं शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

2. अनुसूची में—

(क) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ(4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4";

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (11) में,-

(i) मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(i) "वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में, अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से ज्येष्ठता सह योग्यता के आधार पर 75 प्रतिशत प्रोन्त्रित द्वारा";

(ii) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(ii) "वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा";

(ग) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,-

"वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2";

(घ). अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (10) में,-

(i) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी,-

(ii) "10 प्रतिशत रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में समूह 'ग' कर्मचारीवृद्ध में से भरा जाएगा और जिनके पास बारहवीं उत्तर्ण या समतुल्य अहृता है और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए आयु की अधिकतम सीमा 45 वर्ष है(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष की आयु)";

(ii) मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(iii) "5 प्रतिशत रिक्तियाँ, समूह 'ग' के कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु) के स्तर-1 में पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, में से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्त्रित द्वारा भरी जाएंगी";

(इ) आशुलिपिक ग्रेड-II के पद संबंधित स्तरम्-4 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स (25500-81100रु) में स्तर-4”।

[फा. सं. 2523/आर.आर(समूह'ग')वै.गु.आ.मनि/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ.77, तारीख 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-4 में तारीख 30 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित हुए थे।

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 15th March, 2017

**S.R.O. 20.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance(Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.—

(1) in rule 3, for the words “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “the level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the schedule,-

(a) in column (4), relating to the post of Upper Division Clerk,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :-

“Level in the pay matrix”;

(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

“Level 4 in the pay matrix (Rs 25500-81100)”;

(b) in column (11), relating to the post of Upper Division Clerk,-

(i) for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

(i) “75% by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from Lower Division Clerks in Level 2 (Rs 19900-63200) in the Pay Matrix, with eight years regular service in the grade”;

(ii) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

(ii) “25% through Limited Departmental Competitive Examination from Lower Division Clerks in Level 2 (Rs 19900-63200) in the Pay Matrix, with five years regular service in the grade”;

(c) in column (4), relating to the post of Lower Division Clerk for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

“Level 2 in the Pay Matrix (Rs 19900-63200)”;

(d) in column (10), relating to the post of Lower Division Clerk,-

(i) for item (ii), the following item shall be substituted, namely :-

(ii) “10 percent of vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in Level 1 in the Pay Matrix and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).”

(ii) for item (iii), the following item shall be substituted, namely :-

(iii) "5 percent of the vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the posts in level 1 (Rs 18000-56900) in the pay matrix.";

(e) in column (4), relating to the post of Stenographer Grade-II, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level 4 in the Pay Matrix (Rs 25500-81100)".

[F. No. 2523/RR(Gp'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, dated 30<sup>th</sup> Nov. 2013 vide notification number S.R.O. 77 dated 28 Oct 2013.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आयुध निर्माणी वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया समूह "ग" अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना को छोड़कर आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों तथा आयुध निर्माणी संगठन के अंतर्गत अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय आयुध निर्माणियां, वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया (समूह "ग" अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु लागू होंगे।

3. पद संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विषय ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीकीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके वह इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व मैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।